[2022] 1 एस. सी. आर. 577

आर. मुथुकुमार और ओआरएस। .

वी.

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक टैंगेडको

& ओआरएस।

(2022 की सिविल अपील संख्या 1144)

फरवरी 07,2022

[उदय उमेश ललित, एस. रवींद्र भाट और

बेला। एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

सेवा कानूनः रियायत आधारित आदेश-सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा किसी समझौते के लिए कार्यवाही के दौरान स्वीकार करना

समझौता, जब उचित नहीं-आयोजितः निष्पक्षता की मांग है कि सार्वजनिक निकाय, मॉडल नियोक्ताओं के रूप में, असमर्थनीय प्रस्तुतियों का पीछा नहीं करते हैं-ऐसे मामलों में, एक रियायत, जो कानून पर आधारित है, और संबंधित कानून और/या नियमों की न्यायसंगत व्याख्या के लिए सहमत है, टिकाऊ-हालांकि, यह एक सार्वजनिक नियोक्ता के लिए पूरी तरह से अलग बात है, जिसके आचरण पर सवाल उठाया जाता है, और जो निचले मंच के समक्ष मामले के गुण-दोष पर स्वेच्छा से सहमत होने में सफल रहा है,

एक अनुचित तरीके से, एक समझौते के लिए-नुकसान और

इस तरह के आचरण का हानिकारक प्रभाव अदालत के समक्ष उन लोगों के दावे को प्राथमिकता देना है, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य लोगों का एक बड़ा निकाय, जो इसी तरह की शिकायत के साथ प्रतीक्षा कर रहा है (और जिनमें से कुछ को शायद योग्यता के आधार पर बेहतर या वैध दावा है) नियुक्त किया जाना है, कार्यवाही के पक्षकार नहीं हैं। ऐसे मामलों में, समझौता केवल एक पक्ष नहीं है। अनुचित, यह कानून और सार्वजनिक हित के विपरीत है-समझौता/समझौता।

भारत का संविधानः कला. 14 – नकारात्मक समानता-आयोजितः इस देश की संवैधानिक मान्यता में एक सिद्धांत, स्वयंसिद्ध है कि

कोई नकारात्मक समानता नहीं है-यदि कानूनी आधार के बिना एक या लोगों के समूह को कोई लाभ या लाभ प्रदान किया गया है या

औचित्य, उस लाभ को गुणा नहीं किया जा सकता है, या समानता या समानता के सिद्धांत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है।

बसावराज और अन्र। वी. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (2013) 14 एस. सी. सी. 81: [2013] 8 एससीआर 227; चंडीगढ़ प्रशासन। वी. जगजीत सिंह (1995) 1 एस. सी. सी. 745: [1995] 1 एससीआर 126; आनंद बटन लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2005) 9

एससीसी 164; के. के. भल्ला बनाम एम. पी. राज्य (2006) 3 एस. सी. सी

581 [2006] 1 एस. सी. आर. 342; फुलजीत कौर बनाम। पंजाब राज्य

(2010) 11 एससीसी 455: [2010] 7 एससीआर 317; चमन लाल वी. पंजाब राज्य (2014) 15 एससीसी 715 [2014]

6 एस. सी. आर. 311 और ओडिशा राज्य बनाम अनूप कुमार

सेनापति 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1207-पर भरोसा किया।

चन्नबसवैया बनाम। मैसूर राज्य [1965] 1 एससीआर 360 और अहमदाबाद नगर निगम और अन्य। वी.

राजूभाई सोमाभाई भरवाड़ और अन्य। 2015 (7) एस. सी. सी. 663

: [2015] 8 एस. सी. आर. 263-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 12 एससीआर 193

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[1965] 1 एससीआर 360

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[2015] 8 एससीआर 263

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

[2013] 8 एससीआर 227

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[1995] 1 एससीआर 126

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

(2005) 9 एससीसी 164

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[2006] 1 एससीआर 342

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[2010] 7 एससीआर 317

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[2014] 6 एससीआर 311

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 114

2022 .

उच्च न्यायालय के 02.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की रिट अपील No.574 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

के साथ सिविल अपील सं। 1145-1155 , 1156-1179 , 1180-1187 और 1188

2022 तक।

जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. कुमानन, शेख फखरुद्दीन के.

सुश्री श्रुति गुप्ता, गौतम नारायण, सुश्री अस्मितासिंह, जी. आनंदकू अभिनव अग्रवाल, राजीव के. विरमानी, गौरव जैन, अतुल मल्होत्रा, स्वाति भारद्वाज, राजेश कुमार, के. एस. गोविंदा प्रसाद, टी. हरीश कू टी. आर. बी. शिवकुमार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

आर. मुथुकुमार बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक टैंगेडको

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. विशेष अवकाश दिया गया। पक्षकारों के वकीलों की सहमति से, ये

अपीलों पर आखिरकार सुनवाई हुई। अपीलकर्ता (एतद्वारा "पीड़ित उम्मीदवार" के रूप में भी संदर्भित) अपील के चार सेटों में 1 के डिवीजन बेंच के एक सामान्य निर्णय और दिनांकित 02.08.2018 आदेश से व्यथित हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय। एक अन्य अपील 2 में तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंधन (इसके बाद)

" टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ.) उक्त उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले से व्यथित है, जिसके तहत उसे डब्ल्यू. ए. संख्या 14.10.2015 में पिछले आदेश के आधार पर प्रतिवादियों (रिट याचिकाकर्ता जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिन्हें एतद्वारा "प्रतिवादी आवेदक" कहा जाता है) को आई. टी. आई. सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।

संक्षिप्त तथ्य

2. इस अदालत के समक्ष कार्यवाही में 3, नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे

इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय न्यायमूर्ति खालिद ने एक ओर मौजूदा श्रमिकों और दूसरी ओर कुशल श्रमिकों को समायोजित करके रिक्तियों को भरने के लिए बेहतर तरीकों पर विचार करने और उनकी सिफारिश करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति खालिद की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ कहा गया है किः

" 110. शेष श्रमिकों का चयन कैसे करें और उन्हें कहाँ रखा जाए

आई. टी. आई. कर्मचारियों के अगले सवाल का जवाब दिया जाना है।

अपनी पूरी रिपोर्ट के दौरान, मैंने इस तथ्य पर जोर दिया है कि मेरा

कार्य को समायोजित करने के लिए एक व्यवहार्य विधि विकसित करना है

निर्णय और गतिविधियाँ। मेरा इरादा पूरी तरह से नहीं है कुशल सहायकों की उपेक्षा करें। उन्हें एक जगह मिलनी चाहिए

चीज़ों की योजना। 7,000 आई. टी. आई. सहायक पहले से ही हैं

1 1 एस. एल. पी. (सी) 19059/2019; एस. एल. पी. (सी) 15629-39/2019; एस. एल. पी. (सी) 22044-67/2019 और एस. एल. पी. (सी) 22036-43/2019-एक सामान्य निर्णय और दिनांक 02.08.2018 के आदेश के खिलाफ निर्देशित।

डब्ल्यूए No.574/2017; डब्ल्यूए संख्या। 1450/2017 , 1452/2017 , और 1454-1462/2017; डब्ल्यू. पी. सं. 36656/2016 , 36658/2016 , 36890/2016 , 42792-94 / 2016 , 39782-85 / 2016 , 42613-14 / 2016 , 35135-37 / 2016 ,

35926-30 / 2016 , 35932-35 / 2016 ; डब्ल्यूए Nos.990/2016 और डब्ल्यूए संख्या। 1696-1702 / 2018) , मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। 2 एस. एल. पी. (सी) 3183-3209/2020 (मद्रास उच्च न्यायालय के एक सामान्य निर्णय दिनांक 29.04.2019 के खिलाफ लिखित अपील सं. 1071 , 1072 2016 का, लेखन

याचिका सं। 8150,10266 , 10267 , 17997 , 17998 , 29113 , 29114 , 29115 , 29116 , 33743 , 33744 , 33745 , 39292 , 39673 , 41609 , 41610 2016 का, और रिट याचिका संख्या। 13948 13949 , 13950 , 13951 , 13952 , 13953 , 2017 की रिट याचिका संख्या। 1808 , 18576 , 18624 2018 से। 3 एस. एल. पी. सं. 1820/1990 [2022] 1 एस. सी. आर.

भर्ती किया गया। अन्य लोग इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है

मुझे अंतिम निर्णय देने के लिए नियुक्त किया जो पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। इसलिए यह निष्पक्षता के हित में आवश्यक है।

खेल और न्याय जो मैं नहीं के दावों को ध्यान में रखता हूँ

केवल मौजूदा श्रमिकों के साथ-साथ कुशल श्रमिकों के लिए भी जो वे मेरे सामने नहीं हैं। अपने चिंतित विचार देने के बाद, मैं

तय करें कि नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद 7,000 तक

वर्तमान कर्मचारी, बोर्ड इसके बाद नियुक्त करेगा सूची से मौजूदा श्रमिकों और कुशल श्रमिकों को शेष रखना

1 के अनुपात में: 1 . मौजूदा कर्मचारियों का चयन चयन समिति और आई. टी. आई. सहायकों द्वारा बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

3. रिपोर्ट के अनुपालन में कार्य करते हुए, TANGEDCO ने आदेश 12.07.2012 द्वारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 4000 ITI हेल्पर (ट्रेनी) मुद्राओं को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। आयुक्त, रोजगार विनिमय, गिंडी को एक प्रशस्ति पत्र भेजा गया था।प्रत्येक श्रेणी में ऑनसर आई. टी. आई. उम्मीदवार, 1 के अनुपात में बिजली मिस्त्री और वायरमैन के साथ उनके अनुपात के अनुसार: 5 . कार्यवाही

12.07.2012 अन्य बातों के साथ, इस प्रकार है:

" 2. तदनुसार, टैंगेडको ने इसके द्वारा मंजूरी दी

निम्नलिखित आदेश:

क) एन. टी. सी./एन. ए. सी. (आई. टी. आई.) योग्यता वाले 4000 आई. टी. आई. सहायक (प्रशिक्षु)

इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के व्यापार में नियुक्त किया जाएगा

न्यूनतम करने के लिए रोजगार विनिमय के माध्यम से सीधी भर्ती

TANGEDCO में बड़ी संख्या में सहायक रिक्तियां हैं। द.

4000 आई. टी. आई. सहायक (प्रशिक्षु) को 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रति माह और उसके बाद Rs.3250/- का समेकित वेतन

प्रशिक्षण पूरा होने पर वे नियमित वेतन के अंतर्गत आएंगे।

Rs.5400-20200-1900 (श्रेणी वेतन)

ख) कम समय के भीतर भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बड़ी संख्या और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भर्ती

TANGEDCO में सबसे निचले स्तर की श्रेणी के लिए है, बोर्ड

निर्देश देता है कि उनकी नौकरी की योग्यता मानदंडों का परीक्षण करने के अलावा साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसलिए, TANGEDCO

निर्देश देता है कि रोजगार से एक सूची बनाई जा सकती है

आदान-प्रदान और सभी योग्य उम्मीदवार उनकी शारीरिक स्थिति के अधीन

नौकरी विनिर्देशन के लिए आवश्यक योग्यता, विधिवत भर्ती की जाए

लागू अन्य नियमों और विनियमों का पालन करना, ताकि टैंगेडको के क्षेत्रीय स्तर के प्रदर्शन में सुधार किया जा सके। आर. मुथुकुमार बनाम

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक टैंगेडको [एस. रवींद्र भाट, जे.]

4. आई. टी. आई. सहायक के पद पर रिक्तियों को भरते समय ऊपरी आयु सीमा में ढील देने के निर्देश के लिए कुछ रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी गई थी। (प्रशिक्षु) सीधी भर्ती द्वारा TANGEDCO में। इन रिट याचिकाओं का मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2012 के एक सामान्य आदेश द्वारा निपटारा किया गया था। अदालत की राय थी कि चूंकि रिक्तियां थीं

लंबे समय से अस्तित्व में था, और उन्हें भरने के लिए पहले एक असफल प्रयास किया गया था, यह न्याय के हित में था कि TANGEDCO को ऊपरी आयु सीमा में ढील देनी चाहिए। तदनुसार, दिनांक 01.11.2012 के सामान्य आदेश द्वारा, TANGEDCO को "जहां तक वर्तमान चयन का संबंध है, इन I. T. I. व्यापार प्रमाणपत्र धारकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में ढील देने" का निर्देश दिया गया था।

5. दिनांक 04.07.2013 के एक आदेश/कार्यवाही द्वारा, TANGEDCO ने ITI सहायक (प्रशिक्षु) की उक्त 4000 रिक्तियों के संबंध में चल रही चयन प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा में ढील दी। नतीजतन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से एक सूची तैयार की गई और चयन नौकरी के लिए आवश्यक शारीरिक फिटनेस और अन्य आवश्यक मानदंडों की पूर्ति के अधीन था। इस अदालत के एक अन्य आदेश में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को रोजगार विनिमय के माध्यम से प्रायोजित अन्य उम्मीदवारों के साथ केवल आईटीआई सहायक (प्रशिक्षु) के पद के लिए साक्षात्कार में भाग लेने के लिए बुलाकर वरीयता देने का निर्देश दिया गया था। उन उम्मीदवारों को कोई अंक नहीं दिए गए थे जिन्होंने चयन के लिए वरीयता के रूप में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण लिया था। तदनुसार, दो दैनिक में एक विज्ञापन दिया गया था।

प्रशिक्षुता उम्मीदवारों के लिए अपने नाम दर्ज करने के लिए समाचार पत्र

साक्षात्कार में भाग लेने का उद्देश्य। उक्त निर्णय में, प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षुओं को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता से छूट दी गई थी क्योंकि उन्होंने उसी प्रबंधन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया था। हालांकि, उन्हें वाइवा वॉयस टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। प्रत्यक्ष भर्तियों की तुलना में "जब अन्य चीजें समान हों" तो वरीयता का प्रयोग किया जा सकता था। नतीजतन प्रशिक्षु-प्रशिक्षुओं को निश्चित रूप से नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं था।

6. संबंधित रोजगार कार्यालय ने लगभग 13560 आई. टी. आई. उम्मीदवारों को प्रायोजित किया, जिनमें से केवल योग्य उम्मीदवारों को बुलाया गया था। साक्षात्कार। टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. ने कार्यवाही (संख्या 15), दिनांक 04.07.2013 द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिया:

" एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और सभी योग्य उम्मीदवारों से एक सूची तैयार की जा सकती है, बशर्ते उनकी शारीरिक फिटनेस आवश्यक हो।

4 डब्ल्यू. पी. सं. 24128 / 2012 . 5 सी. ए. संख्या में। 5285-5328 / 1996 दिनांकित 03.10.1996।

22] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नौकरी विनिर्देशन के लिए अन्य के बाद विधिवत भर्ती की जाए

लागू नियम और विनियम "।

7. साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का मूल्यांकन शैक्षणिक अंकों के लिए 85 प्रतिशत और मौखिक/साक्षात्कार में प्रदर्शन के लिए 15 प्रतिशत के साथ किया गया था। साक्षात्कार की प्रक्रिया शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में पोल क्लाइम्बिंग और साइकिल चलाने की उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करने के लिए थी। 1 का अनुपातः 5 G.O.Ms के संदर्भ में पालन किया गया था। संख्या 18, श्रम और रोजगार (एन 2) विभाग दिनांक 25.02.2008, जिसके द्वारा आई. टी. आई. योग्य उम्मीदवारों की सूची रोजगार से मांगी गई थी।

विनिमय करें। उम्मीदवारों के पास आई. टी. आई. (एन. टी. सी./एन. ए. सी.) की योग्यता होनी चाहिए। प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्तियों का सहारा 1 के अनुपात का पालन करके लिया गया थाः 1 , न्यायमूर्ति खालिद आयोग के संदर्भ में

अनुबंध श्रमिकों और योग्य आई. टी. आई. धारकों के बीच रिपोर्ट करें। 1455 जिन उम्मीदवारों ने आईटीआई योग्यता के साथ टैंगेडको में एक साल का प्रशिक्षु प्रशिक्षण पूरा किया था, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। 15015 उम्मीदवारों में से 10,728 उम्मीदवारों ने साक्षात्कार में भाग लिया। जाँच पर, उनके आई. टी. आई./राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र के आधार पर, 10357 उम्मीदवार योग्य पाए गए और 351 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि उनके पास आई. टी. आई. इलेक्ट्रीशियन/वायरमैन व्यापार योग्यता नहीं थी, इसके अलावा उनके पास राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली (एन. सी. वी. टी.) द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (एन. टी. सी.) नहीं था।

8. 4000 आई. टी. आई. सहायकों (प्रशिक्षु) का चयन G.O.Ms में सरकारी आदेश के अनुसार किया गया था। सं. 65 कार्मिक और प्रशासनिक

6 डब्ल्यू. पी. सं. 8829 , 9125 , 9126 , 9319 , 9923 , 9927 , 10589 , 10598 , 11785 , 12003 , 12004 , 15512 , 15636 & 15873/2014 : एस. विजयकुमार बनाम तमिलनाडु उत्पादन और वितरण निगम लिमिटेड।

इस संबंध में आग्रह किया गया था कि साक्षात्कार/वाइवा वॉस की शुरुआत खेल के नियमों को इसके शुरू होने के बाद बदलने के बराबर है। टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. ने याचिकाओं का विरोध करते हुए तर्क दिया कि साक्षात्कार/मौखिक बातचीत का संचालन मनमाना नहीं था। इसने आग्रह किया कि उम्मीदवारों की शारीरिक योग्यता का आकलन करने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया था, और नौकरी की आवश्यकताओं के संबंध में किया गया था। टैंगेडको ने कहा कि 2005 से सभी भर्तियों में इस प्रक्रिया का पालन किया गया था। इसकी कार्यवाही के संदर्भ में

Per.B.P। (एफ. बी.) संख्या 40, दिनांक 14.12.2005 और तमिलनाडु विद्युत

बोर्ड, प्रशासनिक शाखा ज्ञापन संख्या 100459/265/जी. 57/G.572/2007 दिनांक 03.02.2009, भर्ती की प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशानिर्देश; उन दिशानिर्देशों के उद्धरण इस प्रकार हैं:

" 3) साक्षात्कार में निम्नलिखित दिशानिर्देशों को अपनाया जा सकता है।

क) आई. टी. आई. योग्यता एन. टी. सी./एन. ए. सी. प्रमाणपत्रों का सत्यापन

ख) आयु के प्रमाण के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र का सत्यापन। ग) साइकिलिंग और पोल क्लाइम्बिंग में प्रवीणता परीक्षण।

घ) 2 व्हीलर लाइसेंस वाले लोगों के लिए वेटेज दिया जा सकता है।

ङ) उन लोगों को महत्व दिया जा सकता है जो पहले से ही बोर्ड में अनुबंध श्रमिकों के रूप में लगे हुए हैं, यदि बोर्ड द्वारा प्रायोजित हैं।

रोजगार विनिमय "।

रिट याचिकाओं की सुनवाई करने वाले एकल न्यायाधीश ने तर्क दिया कि 2005 के दिशानिर्देशों का पहले भी पालन किया गया था; वे सहमत थे

खालिद आयोग की रिपोर्ट के साथ, और यह कि शारीरिक फिटनेस का परीक्षण नौकरी की आवश्यकता का एक हिस्सा था, जिस पर जोर देने के लिए TANGEDCO सक्षम था। यह भी माना गया कि उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में स्वेच्छा से भाग लिया था, और इसलिए, आरोप नहीं लगा सकते थे

मनमानी। इस तर्क के बल पर, एकल न्यायाधीश, ए 'सामान्य निर्णय' ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। असफल उम्मीदवारों ने डिवीजन बेंच में अपील की। अन्य असफल

जिन उम्मीदवारों ने रिट याचिका दायर करके संपर्क नहीं किया था, उन्होंने बाद में ऐसा किया। एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपीलों के साथ-साथ नई रिट याचिकाओं को डिवीजन बेंच द्वारा लिया गया था। 10. डिवीजन बेंच के समक्ष, TANGEDCO ने सभी रिट याचिकाकर्ताओं को समायोजित करने की इच्छा का संकेत दिया। इसके परिणामस्वरूप एक

पार्टियों के बीच रोमांस करें। समझौते की शर्तें हैं -

नीचे लिखा है:

" मेमो ऑफ कॉम्प्रोमाइज

अपीलार्थियों और याचिकाकर्ताओं ने डब्ल्यू. पी. सं. में रिट याचिकाएं दायर कीं। 9125 , 9126 , 9319 , 9923 , 9927 , 10589 , 10598 , 11785 , 12003 ,

12004 , 15512 , 15636 और 2014 का 15873 ने चुनौती दी

टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ. द्वारा प्रति (प्रति) 4000 आई. टी. आई. सहायकों के पद के लिए चयन प्रक्रिया एफ. बी. (टी. ए. एन. जी. ई. डी. सी. ओ.) कार्यवाही सं.

14 , दिनांकित 12.07.2012 और उन्हें खारिज कर दिया गया था

04.12.2014 दिनांकित आदेश द्वारा एकल न्यायाधीश का ज्ञान प्राप्त किया। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने उपरोक्त याचिका दायर की है।

डब्ल्यू. ए. सं. में अपील लिखें। 81 , 193 , 194 , 195 , 196 , 197 , 1018 , 1019 , 1020 , 1021 , 1022 , 1023 और 2015 का 1301। इसके अलावा डब्ल्यू. पी. संख्या 22095,33097 और में तीन रिट याचिकाओं का उल्लेख किया गया है।

33098 वर्ष 2014 में, आई. टी. आई. सहायक (प्रशिक्षु) के उसी चयन को चुनौती देते हुए प्रवेश के लिए आया और इस माननीय न्यायालय ने

रजिस्ट्री को 2014 के डब्ल्यू. पी. सं. 9125 आदि में मामलों के बैच के साथ इसे पोस्ट करने का निर्देश दिया, लेकिन उक्त रिट याचिकाओं को 2014 के डब्ल्यू. पी. सं. 9125 आदि के साथ पोस्ट नहीं किया गया था, अंतिम सुनवाई के दौरान बैच के मामले और वे लंबित हैं और

माननीय अदालत ने कई मौकों पर और अंत में 02.09.2015 पर और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं

निगम ने अपीलार्थियों के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और

84 याचिकाकर्ता जिन्होंने रिट अपील दायर की है /

आई. टी. आई. को चुनौती देते हुए इस माननीय अदालत के समक्ष लिखित याचिकाएँ

सहायक (प्रशिक्षु) और कहा है कि वे होंगे प्रथम में आई. टी. आई. सहायक (प्रशिक्षु) के पद पर समायोजित

शर्तें और शर्तें 1. प्रत्यर्थी निगम और अपीलार्थी और

याचिकाकर्ताओं ने पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की कि प्रतिवादी निगम

एक समय सीमा के भीतर टैंगेडको सेवा में आईटीआई सहायक (प्रशिक्षु) के पद पर अपीलकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति करेगा।

इस माननीय न्यायालय द्वारा तय किया गया।

आर. मुथुकुमार बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक टैंगेडको [एस. रवींद्र भाट, जे.]

2. प्रत्यर्थी निगम और अपीलार्थी और

याचिकाकर्ताओं ने पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की कि

मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन। 3. प्रत्यर्थी निगम और अपीलार्थी और

याचिकाकर्ताओं ने पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की कि अपीलार्थी और याचिकाकर्ता

आई. टी. आई. सहायक (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्त किया जाएगा

के निर्णय की मूल प्रमाणित प्रति का उत्पादन

माननीय न्यायालय ने आवरण पत्र के साथ वकील से संबंधित अपीलार्थी/याचिकाकर्ता की तस्वीर

किसी भी प्रतिरूपण और भविष्य से बचने के लिए रिकॉर्ड पर

मनोरंजन होगा। 4. प्रतिवादी निगम के अनुरोध के अनुसार, यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने इस माननीय से संपर्क नहीं किया था।

समय पर अदालत ने चयन प्रक्रिया को चुनौती दी और कहा कि यह

समझौते को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह आदेश सहमति के आधार पर पक्षों के बीच बाध्यकारी है।

5. प्रत्यर्थी निगम और अपीलार्थी और

याचिकाकर्ता पारस्परिक रूप से अपनी लागत वहन करने के लिए सहमत हुए

उपरोक्त मामले।

})

उपरोक्त समझौता पीठ के उस निर्देश का आधार बन गया जिसमें उसके समक्ष अपीलकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं को रोजगार की पेशकश करने की आवश्यकता थी। डिवीजन बेंच 3 (इसके बाद समझौता आदेश) के आदेश ने, इस प्रकार अपनी शर्तों पर एल. आई. एस. या विवाद का फैसला नहीं किया; इसने केवल समझौते की शर्तों को दर्ज किया और निर्देश दियाजी. ई. डी. सी. ओ. अपीलार्थियों/याचिकाकर्ताओं की भर्ती करेगा। समझौता आदेश

इस प्रकार हैः

" 3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना

और दोनों विद्वान वकीलों द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, हम

ज्ञापन के संदर्भ में आदेश पारित करना उचित और उचित पाएँ

समझौता करें।

4. दोनों द्वारा दायर समझौते के संयुक्त ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए पक्षकार, इन सभी अपीलों और याचिकाओं का निपटारा किया जाता है ए. सं. 81/2015 और दिनांकित 14.10.2015 मामलों का समूह।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समझौता ज्ञापन की शर्तें। समझौता ज्ञापन निर्णय का हिस्सा होगा और हम उत्तरदाताओं को निर्देश देते हैं 1

और 2 के ज्ञापन में दी गई शर्तों का पालन करना

इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर समझौता। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

नतीजतन, जुड़े हुए सांसद बंद हैं।

11. समझौता आदेश के बाद, कई अन्य असफल उम्मीदवारों ने याचिकाकर्ताओं और अपीलार्थियों के साथ समानता का दावा करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो आदेश के पक्षकार थे और जिन्हें इससे लाभ हुआ था। एक एकल न्यायाधीश ने उन रिट याचिकाओं में से कई को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि ऐसे उम्मीदवार समझौता आदेश का लाभ नहीं उठा सकते हैं। हालाँकि, रिट याचिकाओं के एक अन्य समूह में, एकल न्यायाधीश ने दावों को स्वीकार कर लिया; इसके कारण डिवीजन बेंच के समक्ष TANGEDCO की अपील हुई। अपने सामान्य निर्णय और दिनांक 02.08.2018 के आदेश द्वारा (यहाँ अपीलों का पहला सेट) 9 उम्मीदवारों की अपीलों को खारिज कर दिया गया और TANGEDCO की अपीलें 0

अनुमति दी गई। पीड़ित उम्मीदवारों द्वारा अपीलों का पहला सेट उस सामान्य आदेश के खिलाफ निर्देशित किया जाता है। TANGEDCO द्वारा अपीलों का दूसरा सेट, उस आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है जिसमें समान रूप से नियुक्त उम्मीदवारों को रोजगार देने की आवश्यकता थी, जिन्होंने पहले अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था, लेकिन 2016,2017 और 2018 में रिट याचिकाएं दायर की थीं।

पीड़ित अपीलार्थियों की दलीलें

12. पीड़ित अपीलार्थियों की ओर से श्री गौतम नारायण और Mr.T.B शिवकुमार, विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि TANGEDCO कार्रवाई करे।

अनुचित तरीके से और भेदभावपूर्ण तरीके से, उन लोगों को नियुक्त करने से इनकार करना जो उस कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे जिसके कारण समझौता आदेश हुआ। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि प्रदर्शन के संदर्भ में, पीड़ित उम्मीदवारों ने उन 84 असफल उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर रैंक हासिल की होगी, जिन्हें समझौता आदेश द्वारा रोजगार की पेशकश की गई थी।

13. पीड़ित अपीलार्थी आग्रह करते हैं कि कोई भेदभाव नहीं है

समझौता आदेश। यह प्रस्तुत किया गया था कि एकमात्र और पूरी तरह से महत्वहीन अंतर यह है कि अन्य उम्मीदवारों ने पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि मुकदमेबाजी की शुरुआत किसी भी बोधगम्य, या वास्तव में वैध अंतर का आधार नहीं हो सकती है, जैसा कि चाहा जाता है 9 डब्ल्यू. ए. में। 574/2017 , 990 / 2016 और 1696-1702/2018। 10 डब्ल्यू. ए. संख्या। 1450-1462 / 2017 .

TANGEDCO द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। एक बार जब इसने असफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उनके कथित खराब प्रदर्शन के बावजूद रोजगार देने का फैसला किया, तो उस नीतिगत निर्णय को निष्पक्ष और समान रूप से लागू करना पड़ा। इससे पहले अदालत का दरवाजा खटखटाने वालों के लिए रोजगार के लाभ को प्रतिबंधित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

14. पीड़ित अपीलार्थियों ने आगे तर्क दिया कि TANGEDCO ने अत्यधिक रिक्तियों के लिए प्रश्नगत रिक्तियों को नहीं भरा।

लंबी अवधि। 1 का अनुपातः 1 खालिद आयोग द्वारा निर्धारित करने का अर्थ यह भी था कि समय पर भर्ती की जानी थी। अपीलार्थियों को एक नुकसान में रखा गया था; उनमें से कुछ को ऊपरी आयु में छूट देने से TANGEDCO के इनकार को चुनौती देने के लिए पहले अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। सीमा। उस राहत के बाद, TANGEDCO ने साक्षात्कार की विदेशी प्रक्रिया शुरू करके भर्ती का सहारा लिया, जिसका पालन नहीं करने के लिए उसने पहले प्रतिबद्धता जताई थी। वकील ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। वी. अरविंद कुमार श्रीवास्तव और

जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक सार्वजनिक नियोक्ता सभी उम्मीदवारों के साथ गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य है, चाहे वे अदालत का दरवाजा खटखटाएँ या नहीं, और समान रूप से स्थित उम्मीदवारों और कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करें।

TANGEDCO के तर्क

15. TANGEDCO, जिसका प्रतिनिधित्व श्री जॉयदीप गुप्ता ने किया, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि समझौता आदेश नहीं था

मामले के गुण-दोष के आधार पर। डिवीजन बेंच ने केवल समझौता ज्ञापन का पालन किया और इसे अपने आदेश में शामिल किया। इस प्रकार, आदेश का कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं हो सकता था; यह केवल पक्षों के लिए बाध्यकारी था, न कि उन लोगों के लिए जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि 2013 में साक्षात्कार आयोजित किए गए थे और वर्तमान अपीलार्थियों की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने समझौते के आदेश तक इंतजार किया, और फिर देर से अदालत का दरवाजा खटखटाया।

16. यह आग्रह किया गया कि समझौता आदेश एक विचलन पर आधारित था, क्योंकि TANGEDCO केवल उन्हें नियुक्त करने के लिए बाध्य था

सफल उम्मीदवार। यह 84 उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं कर सकता था और नियुक्ति जारी नहीं कर सकता था। वह त्रुटि बाद के मामले में एक आदेश या दिशा का आधार नहीं हो सकती है। वकील ने जोर देकर कहा कि अदालतें केवल कानूनी प्रावधानों और संबंधित कानूनों और नियमों के उनके अनुप्रयोग के आधार पर राहत दे सकती हैं। वर्तमान मामले में, समझौता आदेश

यह किसी नियम या कानून पर आधारित नहीं था, बल्कि केवल रियायत पर आधारित था। इसका कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं था। श्री गुप्ता ने इस तथ्य पर जोर दिया कि समझौता आदेश एक नहीं था; इस प्रकार, यह किसी भी कानूनी आधार से रहित था। अपीलार्थियों के प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति, जो विशुद्ध रूप से समझौते के आदेश पर आधारित थी, उचित थी।

17. वकील ने आग्रह किया कि जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि अदालत के समक्ष दी गई रियायत योग्यता पर आधारित थी, और अदालत अपने स्वतंत्र आधार पर

इस बात से संतुष्ट था कि ऐसी रियायत उचित थी, इस तरह का आदेश किसी सार्वजनिक नियोक्ता को समान राहत देने के लिए मजबूर करने का आधार नहीं हो सकता था। यह भी आग्रह किया गया कि इस अदालत ने कई फैसलों में कहा है कि गलत आदेश के आधार पर की गई गलती, मजबूर नहीं कर सकती है एक ऐसे कार्य का निष्पादन जो कानून में उचित नहीं है: समानता या नकारात्मक समानता का कोई सवाल ही नहीं है।

विश्लेषण और निष्कर्ष

18. इस मामले के तथ्य बताते हैं कि विज्ञापन या

सहायक/प्रशिक्षु के पद के लिए आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवारों को बुलाने की अधिसूचना 2012 में जारी की गई थी। मुकदमेबाजी का पहला दौर, जैसा कि था, था

इस आधार पर शुरू किया गया कि TANGEDCO ने ऊपरी आयु सीमा (उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने के लिए) में छूट देने से गलत तरीके से इनकार कर दिया। यह शिकायत की गई थी

न्यायसंगत होगा; उच्च न्यायालय ने ऐसी छूट देने का निर्देश दिया, जिसका बदले में टैंगेडको ने अनुपालन किया। जब भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई,

टैंगेडको ने स्पष्ट किया कि वह एक साक्षात्कार आयोजित करेगा, जिसके लिए उसने 15 प्रतिशत वेटेज देने का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान अपीलार्थियों और प्रत्यर्थी आवेदकों सहित उम्मीदवारों ने भाग लिया। जो पात्र थे, और प्राप्त अंकों और वाइवा वॉस के संयुक्त मूल्यांकन पर उपयुक्त पाए गए, उन्हें नियुक्त किया गया। अब, पहली बार, कुछ असफल उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एकल न्यायाधीश ने उनकी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। उम्मीदवारों ने अपील की; अन्य जिन्होंने

अदालत में रिट याचिका दायर नहीं की, उस स्तर पर (2015 में) ऐसा किया। डिवीजन बेंच, अपने समझौता आदेश दिनांक 14.10.2015 द्वारा, विशुद्ध रूप से पीड़ित उम्मीदवारों के बीच समझौते की शर्तों पर आधारित है और

टैंगेडको ने 84 व्यक्तियों की नियुक्ति का निर्देश दिया। समझौता आदेश गुण-दोष पर आधारित नहीं था, न ही मामले के गुण-दोष के स्वतंत्र मूल्यांकन पर आधारित था।

19. वर्तमान पीड़ित उम्मीदवारों और कई अन्य लोगों ने समझौता आदेश के आधार पर पिग्गीबैक की मांग की, यह तर्क देते हुए कि वे समान रूप से स्थित थे। उन्होंने 2016 से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इन व्यथित उम्मीदवारों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और आर. मुथुकुमार बनाम के लिए उनका दावा खारिज कर दिया गया।

समानता को अस्वीकार कर दिया गया था। वे अब यहाँ इस अदालत के सामने हैं। उम्मीदवारों का एक और समूह अधिक सफल रहा; उनकी याचिकाओं की अनुमति दी गई; TANGEDCO अपनी अपील में इस अदालत के समक्ष है।

20. एक विशेषता जो इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख के चेहरे पर टकटकी लगाती है, वह यह है कि खंड पीठ ने अपने समझौते के आदेश में पक्षों द्वारा प्रस्तावित शर्तों को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े। अदालत ने इस बात की जांच नहीं की-कम से कम उसके आदेश में इस तरह के किसी भी विचार का खुलासा नहीं किया गया है-मामले के गुण-दोष और मामले के तथ्यों में इस तरह के प्रस्ताव को क्यों उचित ठहराया गया था। एक सार्वजनिक नियोक्ता के लिए यह एक बात है कि वह कार्यवाही के दौरान एक तर्क को स्वीकार करता है, जिससे वह अब तक जुड़ा हुआ था, लेकिन असमर्थनीय था। निष्पक्षता यह मांग करता है कि सार्वजनिक निकाय, आदर्श नियोक्ताओं के रूप में, असमर्थनीय प्रस्तुतियों का पीछा न करें। ऐसे मामलों में, एक रियायत, जो कानून पर आधारित है, और संबंधित कानून और/या नियमों की न्यायसंगत व्याख्या के अनुरूप है, टिकाऊ है। हालांकि, यह एक सार्वजनिक नियोक्ता के लिए पूरी तरह से अलग बात है, जिसके आचरण पर सवाल उठाया जाता है, और जो निचले मंच (इस मामले में, एकल न्यायाधीश) के समक्ष मामले के गुण-दोष पर स्वेच्छा से, अनुचित तरीके से, एक समझौते के लिए सहमत होने में सफल रहा है। इस तरह के आचरण का नुकसान और हानिकारक प्रभाव अदालत के समक्ष उन लोगों के दावे को प्राथमिकता देना है, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य लोगों का एक बड़ा समूह, जो इसी तरह की शिकायत के साथ प्रतीक्षा कर रहा है (और जिनमें से कुछ के पास शायद योग्यता पर बेहतर या वैध दावा है) नियुक्त किया जाना) कार्यवाही के पक्षकार नहीं हैं। ऐसे मामलों में समझौता न केवल अनुचित है, बल्कि यह कानून और जनहित के विपरीत है।

21. यह अदालत, कई साल पहले, सी. चन्नबसवैया बनाम. मैसूर 1 2 राज्य को कुछ हद तक समान स्थिति का सामना करना पड़ा। उस मामले में, राज्य सरकार ने एक समझौते के अनुसार सोलह व्यक्तियों को नियुक्त किया था, जिसने अन्य लोगों से अनुचितता का आरोप लगाया था, जिन्होंने ऐसा लाभ प्राप्त नहीं किया था। अदालत ने कहाः

" 1. 26 सितंबर, 1959 की एक अधिसूचना द्वारा, मैसूर लोक सेवा आयोग ने घोषणा की कि एक प्रतिस्पर्धी कुछ प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों और याचिकाकर्ताओं सहित कई आवेदकों की सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। 5 सितंबर, 1960 को लोक सेवा आयोग ने पहले की अधिसूचना को संशोधित किया और परीक्षा आयोजित करने के बजाय घोषणा की कि चयन होगा

केवल वाइवा वॉयस परीक्षण के परिणामों पर किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने इस परिवर्तन को मैसूर प्रशासनिक सेवा भर्ती नियम, 1957 के विपरीत बताया, लेकिन इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह हमले का आधार बना।

साक्षात्कार और 29 जुलाई, 1961 को उन्होंने नब्बे की सूची प्रकाशित की। जिन आठ उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा की, उनका चयन किया गया। इसके बाद

परिणामों की घोषणा राज्य सरकार ने चौबीस उम्मीदवारों की एक सूची आयोग के विचार के लिए भेजी और जैसे ही आयोग ने उन्हें मंजूरी दी, वे थे

7 मार्च, 1962 को भी नियुक्त किया गया। अपनी सहमति देने में

आयोग ने कथित तौर पर एक फुट-नोट से सत्ता ले ली

आर के उप-नियम (3) में जोड़ा गया। 4 मैसूर लोक सेवा

आयोग (कार्य) नियम, 1957। सोलह उम्मीदवार, जो

जिनका चयन नहीं किया गया था, उन्होंने मैसूर उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 के तहत याचिकाएं दायर कीं। नवंबर में

26 , 1962 एक समझौता था और सरकार उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने का बीड़ा उठाया।

इनमें से तेरह ने वाइवा वॉस टेस्ट में भाग लिया था लेकिन तीन को इसके लिए नहीं बुलाया गया था। इस तरह के तीन सेट थे

कुल 1,777 आवेदक थे जिन्हें इसके लिए बुलाया गया था। वाइवा वॉयस टेस्ट। बहुत बड़ी संख्या में आवेदक नहीं थे

याचिका में परीक्षण और मैसूर उच्च न्यायालय का आह्वान किया गया तीन याचिकाकर्ताओं में से जिन्हें वाइवा के लिए नहीं बुलाया गया था

वॉयस टेस्ट ने आयोग को उन्हें बुलाने का निर्देश दिया और आयोग ने तब 203 उम्मीदवारों को बुलाया जो उसी में थे

उच्च न्यायालय में तीन याचिकाकर्ताओं के रूप में श्रेणी। यह हो सकता है

उन्होंने बताया कि पहली वाइवा वॉयस परीक्षा में अस्सी-आठ उम्मीदवार और दूसरी परीक्षा में दस उम्मीदवारों का चयन किया गया था।

इस प्रकार कुल संख्या नब्बे-आठ हो जाती है।

3. उन लोगों के साथ जो हुआ था उससे प्रोत्साहित होकर जिन्होंने

उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, अन्य उम्मीदवार जो सफल नहीं हुए थे, उन्होंने अनुच्छेद 14,15 और 16 के तहत रिट के लिए आवेदन किया

संविधान से। उनकी याचिकाओं को संक्षेप में खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा।

***

**

**

****** आर. मुथुकुमार बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक टैंगेडको [एस. रवींद्र भाट, जे.]

9. सोलह उम्मीदवारों के मामले को पहले लेते हुए, ऐसा प्रतीत होता है

हमारे लिए, कि चूंकि इनमें से अधिकांश उम्मीदवारों ने कुछ अस्वीकृत उम्मीदवारों की तुलना में कम अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उनके चयन को बनाए रखना असंभव है। शुरू में यह उच्च के बारे में गलत था

अदालत ने इस तरह के समझौते को लागू करने की अनुमति दी जब यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि तीन उम्मीदवारों ने मौखिक परीक्षा में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया था और उच्च न्यायालय के समक्ष शेष तेरह उम्मीदवारों की तुलना उन लोगों से करने के लिए कुछ भी नहीं था जो चयन में विफल रहे थे। भाई-भतीजावाद के आरोप थे जिन्हें नहीं छोड़ा गया था और

अब पता लगाएँ कि इनमें से अधिकांश उम्मीदवार कुछ अस्वीकृत उम्मीदवारों के रूप में उच्च रैंक नहीं रखते हैं। ऐसे मामले में अदालत को समझौतों को स्वीकार करने में तब तक देरी करनी चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट नहीं किया जाता है कि जो किया जा रहा है वह किसी और को प्रभावित नहीं करता है। अन्यथा कार्य करने से न्यायालय स्वयं इस आरोप के लिए खुल जाता है कि उसने कुछ उतना ही बुरा किया जितना कि उसके खिलाफ शिकायत की गई थी। हमारी राय में, इन सोलह उम्मीदवारों की नियुक्ति

इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ता यह दावा करने के हकदार हैं कि उनके अंकों की तुलना याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों और केवल योग्यता और योग्यता के आधार पर किए गए चयन से की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, निश्चित रूप से, तीन उम्मीदवार जो थे परीक्षा के लिए नहीं बुलाए जाने पर उन्हें बुलाना होगा और अंक देने होंगे। अन्यथा उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। "

एक और हाल के फैसले में, अहमदाबाद नगर निगम एस। वी. राजूभाई सोमाभाई भरवाड़ और Ors.[1]3 13 सवाल यह था कि वह एक सरपंच समझौता कर सकती है और एक कर्मचारी को लेने के लिए सहमत हो सकती है। इस अदालत ने निर्णायक रूप से कहा कि इस तरह का समझौता कानूनी नहीं है:

" 17. हमारा उसी का उल्लेख करने का उद्देश्य यह है कि

संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य विधानमंडल को संविधान के भाग IX के अनुरूप अपने राज्य कानूनों को लाने की आवश्यकता थी, पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है ताकि वे स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य कर सकें। राज्य विधानमंडल को ऐसे प्रावधान करने का भी अधिकार दिया गया है जिनके द्वारा ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। एक बार जिम्मेदारी दी जाती है तो वे हैं

आशावादी जिम्मेदारी के साथ किया जाना। एक सरपंच, जैसा कि हम इस मामले में समझते हैं, एक समझौता करके न केवल अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत काम किया है और लेकिन

स्थानीय स्वयं पर जिम्मेदारी की भावना भी डाली जाती है सरकार।

18. इस संदर्भ में, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू से अनजान नहीं रह सकते हैं। जैसा कि हम एकल पंक्ति आदेश में पाते हैं कि श्रम न्यायालय ने समझौते को स्वीकार कर लिया है और यह पता लगाने का भी कोई प्रयास नहीं किया है कि क्या सरपंच को ग्राम पंचायत द्वारा समझौता/समझौता करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रस्ताव के साथ अधिकृत किया गया था। उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए था कि यह नियोक्ता सरपंच नहीं था, बल्कि श्रम न्यायालय की ओर से बहुत अधिक जांच की आवश्यकता थी। यह एक अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि यह कहा जाता है कि ऐसा करना श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का बाध्य कर्तव्य है और हम बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कहते हैं, क्योंकि अदालत का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह जांच करे कि क्या एक वैध समझौता किया गया है या नहीं। उसे संतुष्ट होना चाहिए कि समझौता वैध है।

19. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश और श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करने वाली अपीलों की अनुमति देते हैं और मामले को श्रम को प्रेषित करते हैं।

नए निर्णय के लिए न्यायालय।

22. अपीलार्थी के निवेदन का मुख्य आधार उनके आश्रित रविंद कुमार श्रीवास्तव (ऊपर) थे। उस मामले में, इस अदालत ने पक्षकारों द्वारा उद्धृत कई मामलों के बाद, उन मामलों में सही स्थिति का सारांश दिया था जहां रियायत आधारित आदेश हो सकते थे (या नहीं हो सकते थे)।

पूर्ववर्ती के रूप में खायाः

" 23. अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों दोनों द्वारा उद्धृत उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से जो कानूनी सिद्धांत सामने आते हैं, उनका सारांश नीचे दिया जा सकता हैः (1) सामान्य नियम यह है कि जब कर्मचारियों का एक विशेष समूह है

न्यायालय द्वारा राहत दिए जाने पर, अन्य सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ उस लाभ को बढ़ाकर समान व्यवहार करने की आवश्यकता है। ऐसा न करना भेदभाव के बराबर होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस सिद्धांत को सेवा मामलों में अधिक दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर आर. मुथुकुमार बनाम सेवा न्यायशास्त्र विकसित किया गया।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक टैंगेडको [एस. रवींद्र भाट, जे.]

यह अभिधारणा है कि सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए, सामान्य नियम यह होगा कि केवल इसलिए कि अन्य समान रूप से स्थित व्यक्ति संपर्क नहीं करते थे

न्यायालय ने पहले कहा था कि उनके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। (2) हालाँकि, यह सिद्धांत अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है।

लैच और देरी के रूप में अपवाद के साथ-साथ स्वीकृति। वे लोग जिन्होंने चुनौती नहीं दी

अपने मामलों में गलत कार्रवाई और उसे स्वीकार करते हुए और लंबे विलंब के बाद केवल इस कारण से जागे कि उनके समकक्ष जिन्होंने समय पर पहले न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, वे अपने प्रयासों में सफल रहे, तो ऐसे कर्मचारी यह दावा नहीं कर सकते कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों के मामले में दिए गए निर्णय का लाभ उन्हें दिया जाए। उन्हें बाड़ के रूप में माना जाएगा-सीटर और लाचेस और देरी, और/या सहमति, उनके दावे को खारिज करने के लिए एक वैध आधार होगा। (3) हालाँकि, यह अपवाद उन मामलों में लागू नहीं हो सकता है जहाँ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय किसी अन्य मामले में दिया गया था।

सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को लाभ देने के इरादे से,

चाहे उन्होंने अदालत का रुख किया हो या नहीं। इस तरह के साथ

घोषणा यह दायित्व अधिकारियों पर डाला जाता है कि वे स्वयं सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को इसका लाभ दें।

ऐसी स्थिति तब हो सकती है जब निर्णय का विषय नीतिगत मामलों को छूता है, जैसे कि नियमितीकरण की योजना और इसी तरह (के. सी. शर्मा और अन्य देखें। वी. संघ

भारत का (ऊपर)। दूसरी ओर, यदि निर्णय का

न्यायालय व्यक्तिगत रूप से उक्त लाभ को अभिनिर्धारित कर रहा था

निर्णय न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को प्राप्त होगा और

ऐसा इरादा निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है या इसका निहित रूप से निर्णय की अवधि और भाषा से पता लगाया जा सकता है।

निर्णय, जो उक्त का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं

उन्हें दिए गए निर्णय को संतुष्ट करना होगा कि उनके

याचिका या तो विलंब या देरी से ग्रस्त नहीं है या

स्वीकृति "।

निर्णय के अनुपात पर चर्चा करने से पहले, उस तथ्यात्मक संदर्भ का उल्लेख करना उपयोगी होगा जिससे विवाद उत्पन्न हुआः

" 9. जिस विवादास्पद प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या दिए गए मामले में, न्यायाधिकरण और [2022] 1 एस. सी. आर. का दृष्टिकोण है।

उच्च न्यायालय पहले के लाभ को बढ़ाने में सही था।

न्यायाधिकरण का निर्णय, जिसने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था

सर्वोच्च न्यायालय तक पुष्टि की गई थी। जबकि अपीलकर्ताओं का तर्क है कि यहाँ उत्तरदाताओं ने समय पर न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया और वे अनिश्चित थे और इसलिए, न्यायिक मंच से देर से संपर्क करके उक्त निर्णय के लाभ के हकदार नहीं थे। वे कुछ विशिष्ट विशेषताओं का भी अनुरोध करते हैं जिनके आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि उत्तरदाताओं का मामला उस मामले के बराबर नहीं है जिस पर न्यायाधिकरण द्वारा 22 जून, 1987 के उस आदेश में विचार किया गया था।

उन उम्मीदवारों को लाभ देते हुए पारित किया गया था जिन्होंने उस समय अदालत का दरवाजा खटखटाया।

23. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अरविंद कुमार श्रीवास्तव (ऊपर) में न्यायाधिकरण और न्यायालय के पिछले आदेश गुण-दोष पर आधारित थे।

निर्णय, और रियायत पर आधारित नहीं; निश्चित रूप से आधारित नहीं समझौता करें। इस तरह के तथ्यों की पृष्ठभूमि में ही राहत से इनकार किया गया था

समान रूप से स्थित दावों को अनुचित माना गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले के उद्देश्य के लिए, अदालत ने एक अपवाद बनायाः कि बाद के वादियों को, दूसरों के मामलों में दिए गए आदेशों से लाभ उठाने की इच्छा रखते हुए, बिना किसी देरी या विलंब के समय पर अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। इस मामले के तथ्यों में, समझौता आदेश की किसी भी अंतिमता का कोई सवाल ही नहीं हैः इसे कल्पना के किसी भी विस्तार से, रेम में एक क्रम के रूप में, या एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, पीड़ित अपीलकर्ताओं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों (टैंगेडको की अपील में) ने समय पर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। वे समानता का दावा करते हुए समझौते के आदेश के बाद जाग गए और अदालत में याचिका दायर की। स्पष्ट रूप से, इसलिए, वे समझौता आदेश से किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।

24. इस देश की संवैधानिक मान्यता में एक सिद्धांत, स्वयंसिद्ध है कि कोई नकारात्मक समानता नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि कानूनी आधार या औचित्य के बिना किसी एक या लोगों के समूह को कोई लाभ या लाभ प्रदान किया गया है, तो उस लाभ को गुणा नहीं किया जा सकता है, या समानता या समानता के सिद्धांत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है। बसावराज और अन्न में। वी. विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी 1 4, इस अदालत ने फैसला सुनाया किः

" 8. यह एक व्यवस्थित कानूनी प्रस्ताव है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है, यहां तक कि अन्य मामलों में किए गए गलत निर्णयों को भी आगे बढ़ाना है।

14 (2013) 14 एस. सी. सी. 81 आर. मुथुकुमार बनाम

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक टैंगेडको [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उक्त प्रावधान में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है लेकिन इसका केवल एक सकारात्मक पहलू है। इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान

स्थित व्यक्तियों को कुछ राहत/लाभ दिया गया है।

अनजाने में या गलती से ऐसा आदेश दूसरों को भी वही राहत पाने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करता है। यदि पहले के मामले में कोई गलती की गई है, तो यह नहीं हो सकता है

स्थायी "।

अन्य निर्णयों ने इस सिद्धांत को लागू किया है (संदर्भः चंडीगढ़ प्रशासन। वी. जगजीत सिंह ", आनंद बटन लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ इंडिया

हरियाणा 1, के. के. भल्ला बनाम एम. पी. की स्थिति "; फुलजीत कौर बनाम। पंजाब राज्य 1 8, और चमन लाल बनाम। पंजाब राज्य ")। हाल ही में, ओडिशा राज्य बनाम। अनूप कुमार सेनापति20 इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता और अनियमितता की गई है या किसी न्यायिक मंच द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या गुणा करने या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए उच्च या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं। किसी विशेष पक्ष के पक्ष में एक गलत आदेश/निर्णय किसी अन्य पक्ष को दावा करने का अधिकार नहीं देता है।

गलत निर्णय के आधार पर लाभ।

25. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि पीड़ित अपीलार्थी और प्रत्यर्थी आवेदक (टैंगेडको की अपील में) दावा नहीं कर सकते थे

समानता का लाभ; उनकी रिट याचिकाएं समझौता आदेश पर आधारित थीं, जिन्हें कानून में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। खंड पीठ के फैसले और आदेश के खिलाफ पीड़ित अपीलार्थियों की अपील

मद्रास उच्च न्यायालय दिनांकित 02.08.2018 को विफल होना पड़ता है; इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। इन्हीं कारणों से, TANGEDCO की अपील, (मद्रास उच्च न्यायालय के 29.04.2019 के आदेश के खिलाफ रिट अपील संख्या। 1071 , 1072 2016 की रिट याचिका संख्या। 8150 , 10266 , 10267 , 17997 , 17998 , 29113,29114 , 29115 , 29116 , 33743 , 33744 , 33745 , 39292 , 39673 , 41609 ,

15 17 16 (((2005 2006 1995))) 9 3 1 एससीसी एससीसी 745 581 164 18 (2010) 11 एससीसी 455 19 (2014) 15 एससीसी 715

20 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1207 596

2016 का ए 41610, और रिट याचिका संख्या। 13948 13949 , 13950 , 13951 , 13952 , 13953 , 2017 की रिट याचिका संख्या। 1808 , 18576 , 18624 2018) सफल होता है और अनुमति दी जाती है। इस मामले की परिस्थितियों में, कोई नहीं होगा

लागत के बारे में आदेश दें।

देविका गुजराल